पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121

Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.**1/**आर. टी. आई.**/**2168**/**3725 **दिनांक:**07.10.2022

सेवा में,

श्री जावेद तोमर
अधिवक्ता, सिविल कोर्ट
बागपत (उ.प्र.), मोबाइल न. 8126586951

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक **15.09.2022** के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 15**.09.2022** जो कि दिनांक 20.09.2022 को रु.10/- (32**T 379685)** के नोट के साथ पावरग्रिड बागपत कार्यालय में प्राप्त हुआ। आर. टी. आई प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के उप्रांत यह ज्ञात हुआ कि यह पत्र आपने जन सूचना अधिकारी, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि0 उपकेंद्र टयौढी जिला बागपत को भेजना चाहा है ।

आपको यह बताना चाहते है कि ट्योढ़ी (बागपत) में स्थित पावरग्रिड का 400/220 केवी जी.आई.एस. सबस्टेशन दो अलग-अलग वोल्टेज स्तरों - 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन पॉवरग्रिड से संबंधित और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित की ट्रांसमिशन लाइनों को संभालता है ।

आपने अपने आवेदन पत्र में किस लाइन विषेश की जानकारी चाही है का कोई जिक्र नही किया है फिर भी पावरग्रिड से संबंधित जानकारी बिंदुवार नीचे दी गई है, और उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित जानकारी उनसे अलग से प्राप्त की जा सकती है । इसके अलावा, आपके आर.टी.आई. आवेदन पत्र की एक प्रति उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पत्र संदर्भ, उ.क्षे. 1/बागपत/170 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा उप महाप्रबंधक, पावरग्रिड बागपत ने अग्रेषित कर दी है (प्रति संलग्न) ।

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	आपके विद्युत केंद्र पर जो विद्युत लाईन आ रही है उनके लिए जो खम्बे (पोल) किसानों के खेत में लगाए गए है क्या किसानों से आपने वह जमीन	**नही खरीदी** ।

...2..

<table>
<tr><td></td><td>खरीदी है यदि किसानो से उक्त जमीन खरीदी गयी है तो कितना मुआवजा दिया गया है ?</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>आपने विद्युत लाईनों के लिए खम्बों के लिए अगर जमीन नहीं खरीदी तो किस नियम के तहत वह खम्बा किसानों के जमीन में लगाए है और कितने समय के लिए लगाए है और कितना मुआवजा किसानों को दिया गया है ?</td><td>पावरग्रिड की ट्रांसमिशन लाइनें भारतीय बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार बिछाई/बनाई जाती है | विद्युत लाईन के लिए जो खम्बे (टावर) किसानो के खेत में लगाया जाता है, उक्त जमीन पॉवर ग्रिड के द्वारा नहीं खरीदी जाती है । लाइन निर्माण के समय जो भी फसलों/पेड़ों के क्षतिपूर्ति होती है कि एवज में सम्बंधित राजस्व विभाग से सत्यापन के उप्रांत मुआवजा तय किया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>आपने विद्युत लाईन के लिए जो खम्बे लगाए गए है उनका मुआवजा प्रत्येक खम्भों के लिए कितना दिया है ?</td><td rowspan="2">लाइन निर्माण के समय फसलों/पेड़ों के क्षतिपूर्ति होती है कि एवज में सम्बंधित राजस्व विभाग से सत्यापन के उप्रांत मुआवजा तय किया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>आपने विद्युत लाईनों के लिए जिन किसानों के खेत के ऊपर से लाईन गुजारी गई है क्या उसका मुआवजा प्रदान किया गया है ?</td></tr>
</table>

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

[**राजेश वी.**]
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305